कार्यालय मुख्य अभियंता,
इंदिरा सागर परियोजना (नहरें)
सनावद, जिला खरगोन

दूरभाष–07280–234608
फैक्स–07280–234608
E-Mail-
ceispnvdasan@mp.nic.in

आदेश क्रमांक/सा./122025/भाग–3/2012/2219 सनावद, दिनांक 13.06.2017

//कार्यालयीन आदेश//

कार्यालय मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद (म.प्र.) के द्वारा छीपानेर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के टर्न–की के आधार पर निर्माण कार्य की निविदा क्र. 18/सा./मु.अ./2016–17/दिनांक 08.02.2017 कार्य की अनुमानित लागत रू. 502.24 करोड की निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें निविदाकारो को पूर्व अर्हता निर्धारण भी किया जाना था। उक्त निविदा में मेसर्स सांई सुधीर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, हैदराबाद के द्वारा भाग लिया था। उनके द्वारा गलत जानकारी दी गई और यह जानकारी छुपाई गई कि उनका टेन्डर विगत सात वर्षो में टर्मिनेट हुआ है तथा बैंक ग्यांरटी भी राजसात हुई है और उनके टेन्डर डालनें पर भी 03 वर्षो का प्रतिबंध है और इस कारण वे अयोग्य हैं।

अतः निविदाकार मेसर्स सांईसुधीर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, हैदराबाद के इस कृत्य के कारण म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय का आदेश क्र. एफ 17–1 2010/19/बी 244 दिनांक 24.03.2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत इनका नाम काली सूची (Black list) में रखा जाता है।

1. नवीन निविदा प्रतिस्पर्धा में स्वयं के नाम पर अथवा भागीदारी/संचालकों के नाम पर भाग नहीं ले सकेंगें।
2. किसी भी अन्य फर्म में भागीदार उभय निष्ट होने पर/संचालक भी मण्डल में नियुक्त होनें व्यक्तिगत पंजीयन होने पर वह फर्म निविदा प्रतिस्पर्धा में प्रतिबंधित रहेंगी।
3. किसी भी श्रेणी में निविदा प्रपत्र क्रय करने की अनुमति प्रदान नही की जावेगी।
4. यदि निविदा प्राप्त भी होती है, तो अनहर्त (Ineligible) मानी जावेगी।
5. निविदा स्वीकृत होने अथवा अनुबंध होने के पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार का पंजीयन अनुबंध के दिनांक या उसके पूर्व निलंबित किया गया है तथा प्रभावित है, तो ऐसे निविदा स्वीकृति आदेश अथवा कार्यो देश को विधि शून्य माना जावेगा।
6. कम्पनी का नाम बदलनें अथवा उसकी मिल्कियत बदलनें पर वारिस कम्पनी भी काली सूची में बनी रहेगी।

ठेकेदार यदि चाहें तो 90 दिवस की अवधि में सदस्य (अभियांत्रिकी), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल के कार्यालय में अपील कर सकता है।

13/6/17
(रज्जन रोहित)
मुख्य अभियंता
इंदिरासागरपरियोजना (नहरें)
सनावदजिला खरगोन

पृ. क्रमांक / सा. / 122025 / भाग–3 / 2012 / 2220 सनावद, दिनांक 13.06.2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
6. उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
7. पुलिस महा निदेशक, भोपाल।
8. आयुक्त म.प्र. ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग भोपाल।
9. आयुक्त म.प्र. गृह निर्माण मंडल विभाग, भोपाल
10. महा प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल।
11. प्रबंधक संचालक म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
12. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
13. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
14. प्रमुख अभियंता, लोकस्वास्थ यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
15. सदस्य (अभियांत्रिकी), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जेल रोड़, भोपाल।
16. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, म.प्र. शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
17. सचिव वृहद परियोजना नियंत्रण, मण्डल भोपाल।
18. परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजनाएँ जल संसाधन विभाग, भोपाल।
19. समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
20. मुख्य अभियंता, प्राक्योरमेंट कार्या0 प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल।
21. उप संचालक डाटा बेस कोलार रोड़, भोपाल।
22. नोडल अधिकारी ई–टेन्डरिंग सेल नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
23. कार्यपालन यंत्री ई–टेन्डरिंग (प्रमुख अभियंता कार्यालय) भोपाल।
24. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
25. समस्त अधीक्षण यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ....।
26. समस्तकार्यपालन यंत्री (संरचनाधीन) ....
27. मेसर्स सांई सुधीर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, हैदराबाद, की ओर सूचनार्थ ।

13/6/17

(रज्जन रोहित)
मुख्य अभियंता
इंदिरासागरपरियोजना (नहरें)
सनावद, जिला–खरगोन